2024/313

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री नारायणसिंह सोलंकी निवासी राजपूत वास झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 67 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.12.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 18.02.2023 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजपूत वास झाडौली में जोधपुर मिष्ठान की दुकान से गणेश चौक तक की सडक जनवरी 2006 से फरवरी 2023 तक कितनी बार मरम्मत की गई अथवा नई सडक का निर्माण हुआ। दिनांक, बजट एवं ठेकेदार की सम्पूर्ण जानकारी एवं वर्ष 2021 एवं 2022 में सडक की मरम्मत/नई सडक बनाने का कार्य अथवा बजट पास हुआ है, उक्त बजट की राशि, कार्य की वर्तमान स्थिति, ठेकेदार का नाम एवं निरीक्षण एवं भुगतान की स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी के नाम एवं पुरानी सडक पर नई सडक का निर्माण/मरम्मत का कार्य किस प्रकार किया जाता है, उसकी जानकारी एवं सडक निर्माण में अनियमितता की जाती है, तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है एवं ठेकेदार एवं अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के क्या प्रावधान है। उपरोक्त वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 18.02.2023 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजपूत वास झाडौली में जोधपुर मिष्ठान की दुकान से गणेश चौक तक की सडक जनवरी 2006 से फरवरी 2023 तक कितनी बार मरम्मत की गई अथवा नई सडक का निर्माण हुआ। दिनांक, बजट एवं ठेकेदार की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें और वर्ष 2021 एवं 2022 में सडक की मरम्मत/नई सडक बनाने का कार्य अथवा बजट पास हुआ है, उक्त बजट की राशि, कार्य की वर्तमान स्थिति, ठेकेदार का नाम एवं निरीक्षण एवं भुगतान की स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी के नाम एवं पुरानी सडक पर नई सडक का निर्माण/मरम्मत का कार्य किस प्रकार किया जाता है, उसकी जानकारी एवं सडक निर्माण में अनियमितता की जाती है, तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है एवं ठेकेदार एवं अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के क्या प्रावधान है। उपरोक्त [illegible] कार्यवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपील[illegible] गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अ[illegible] सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/20[illegible] दिनांक [illegible]2023 के द्वारा अपीलांट [illegible] सूचित कर दिया गया था। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधि[illegible] अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के स्तर पर अब [illegible] भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Alpa Choudhary Date: 2025.02.12 15:43:28 IST Reason: SelfAttested (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner